

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.)



वादा संख्या :- 01 / 212 / 2016

समीर अरोडा पुत्र यशपाल अरोडा जाति पंजाबी निवासी 54 महात्मा गॉंधी नगर अजमेर रोड जयपुर  
मनीष सारण पुत्र डॉ. बी0आर0 सारण जाति जाट निवासी 21 / 81 एम0एल0ए0 क्वॉटर कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर  
अमित पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहमण निवासी डी097 जगादीश मार्ग बनी पार्क जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
2. सुलतान पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
3. लेखराम पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
4. रतन पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
5. हीरालाल पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
6. लक्ष्मी पत्नि ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
7. तोफली बेवा हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
8. किशोर पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
9. उमराव पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
10. विजय सिंह पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ

—असल प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री धर्मेन्द्र जैसावत एडवोकेट – वादीगण

## निर्णयदिनांक 06.02.2018

आज यह दावा वास्ते निर्णय पेश हुआ। सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादीगण ने दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 157/0.30, 158/0.63, 159/0.82, 160/0.49, 161/0.45, 162/0.38, 163/0.07, 164/1.11, 165/0.17, 166/0.59, 167/0.22, 168/0.40, 169/0.29, 174/0.13, 175/0.02, 176/0.02, 177/0.01, 178/0.15, 181/0.05 वाके ग्राम मुरलीपुरा (लोसल) तह0 राजगढ में स्थित है। उक्त आराजी पक्षकारान सह खातेदारी की आराजी है। पक्षकारान मौके पर अपने अपने हिस्से पर मुताबिक हिस्सा काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे हैं अब सह खातेदारी की आराजी होने के कारण आराजी के कब्जे काशत को लेकर पक्षकारान में विवाद रहता है। इसलिए आराजी को मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कर खाता प्रथक-प्रथक करने का निवेदन किया गया।

वाद वादी दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना रजिस्टर्ड तामिल के कराये जाने के बावजूद भी असालतन/वकालतन उपस्थित न्यायालय नहीं आये। अतः उनके विरुद्ध दिनांक 23.08.2018 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दावा वादी प्रारंभिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजी को पक्षकारान में मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बटवारा हेतु कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के आदेश जारी किये गये।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार राजगढ द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर उनके पत्र संख्या 56 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा प्रस्तुत की गयी। वकील वादी द्वारा प्रकरण में बहस सुन जाकर निर्णय करने का निवेदन किया। तथा प्राप्त रिपोर्ट कुरेजात तहसीलदार राजगढ दिनांक 10.01.2019 के अनुसार दावा वादी डिक्री करने पर सहमति दी गई। तथा मुताबिक रिपोर्ट कुरेजात तहसीलदार राजगढ के अनुसार दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 9 वाके ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील राजगढ के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित पक्षकारान की सह खातेदारी की आराजी होना साबित है तथा जो रिपोर्ट कुरेजात तहसीलदार राजगढ द्वारा दिनांक 10.01.2019 को पेश की गई है का भी अवलोकन किया तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कुरेजात से यह तथ्य साबित होता है कि कुरेजात रिपोर्ट में मुताबिक



हिस्सा सही आराजी का विभाजन किया गया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी डिक्री करने का वकील वादी की सहमति भी है। अतः ऐसी स्थिति में मुताबिक रिपोर्ट कुरेजात दिनांक 10.01.2019 के अनुसार दावा वादी काबिल डिक्री योग्य है। अतः

आदेश है कि

वाद वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा नम्बर 157/0.30, 158/0.63, 159/0.82, 160/0.49, 161/0.45, 162/0.38, 163/0.07, 164/1.11, 165/0.17, 166/0.59, 167/0.22, 168/0.40, 169/0.29, 174/0.13, 175/0.02, 176/0.02, 177/0.01, 178/0.15, 181/0.05 वाके ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का लोसल तह0 राजगढमुताबिक रिपोर्ट कुरेजात तहसीलदार राजगढ दिनांक 10.01.2019 के अनुसार डिक्री किया जाता है। पक्षकारान में आराजी का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	समीर अरोडा पुत्र यशपाल अरोडा जाति पंजाबी निवासी 54 महात्मा गौधी नगर अजमेर रोड जयपुर हिस्सा 1/2 मनीष सारण पुत्र डॉ. बी0आर0 सारण जाति जाट निवासी 21/81 एम0एल0ए0 क्वॉटर कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर हिस्सा 1/4 अमित पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहमण निवासी डी097 जगादीश मार्ग बनी पार्क जयपुर हिस्सा 1/4	मुरलीपुरा	161	0.45
		पटवार हल्का लोसल	164 मि.	0.10
			160	0.49
			159 मी.	0.56
			158 मी.	0.50
	योग	किता 04	2.10 है0	
2.	लक्ष्मी पत्नि ख्याली, कजोड, सुलतान, लेखराज, रतन, हीरालाल पिता ख्याली, रामबाई पुत्री ख्याली हिस्सा 1/2 बिला रहन, तोफली पत्नि हरफूल, किशोर, उमराव, विजय सिंह पिता हरफूल हिस्सा 1/2 हरन पीएनबी0 शाखा टहला कौम गुर्जर साकिन लोसल खातेदार	मुरलीपुरा	164 मी.	1.01
		पटवार हल्का लोसल	159 मी.	0.26
			158 मी.	0.13
			157	0.30
			162	0.38
			163	0.07
			165	0.17
			166	0.59
			167	0.22
			168	0.40
			169	0.29
			174	0.13
			175	0.02
			176	0.02
			177	0.01
			178	0.15
			181	0.05
	योग	किता 17	4.20 है0	

पक्षकारान उक्तानुसार आरजी को अपने-अपने नाम पृथक-पृथक खातेदार में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो एक दूसरे के हिस्से की आराजी में कार्य काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजामत नहीं करेंगे। नक्शा कुरेजात निर्णय का पार्ट रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री आशीष मोदी आई.ए.एस.)



वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/212/2016	दावा तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा	22.12.2016	06.02.2019

1. समीर अरोडा पुत्र यशपाल अरोडा जाति पंजाबी निवासी 54 महात्मा गॉधी नगर अजमेर रोड जयपुर
2. मनीष सारण पुत्र डॉ. बी0आर0 सारण जाति जाट निवासी 21/81 एम0एल0ए0 क्वॉटर कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर
3. अमित पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहमण निवासी डी097 जगादीश मार्ग बनी पार्क जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
2. सुलतान पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
3. लेखराम पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
4. रतन पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
5. हीरालाल पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
6. लक्ष्मी पत्नि ख्याली जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
7. तोफली बेवा हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
8. किशोर पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
9. उमराव पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
10. विजय सिंह पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ

—असल

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री धर्मेन्द्र जैसावत एडवोकेट - वादीगण

**पर्चा डिक्री दिनांक 06.02.2019**

वाद वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा नम्बर 157/0.30, 158/0.63, 159/0.82, 160/0.49, 161/0.45, 162/0.38, 163/0.07, 164/1.11, 165/0.17, 166/0.59, 167/0.22, 168/0.40, 169/0.29, 174/0.13, 175/0.02, 176/0.02, 177/0.01, 178/0.15, 181/0.05 वाके ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का लोसल तह0 राजगढमुताबिक रिपोर्ट कुरेजात तहसीलदार राजगढ दिनांक 10.01.2019 के अनुसार डिक्री किया जाता है। पक्षकारान में आराजी का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	समीर अरोडा पुत्र यशपाल अरोडा जाति पंजाबी निवासी 54 महात्मा गॉधी नगर अजमेर रोड जयपुर हिस्सा 1/2	मुरलीपुरा	161	0.45
	मनीष सारण पुत्र डॉ. बी0आर0 सारण जाति जाट निवासी 21/81 एम0एल0ए0 क्वॉटर कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर हिस्सा 1/4	पटवार हल्का लोसल	164 मि. 160 159 मी. 158 मी.	0.10 0.49 0.56 0.50
	अमित पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहमण निवासी डी097 जगादीश मार्ग बनी पार्क जयपुर हिस्सा 1/4	योग	किता 04	2.10 है0